

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:—ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-71/2018/ दिनांक:—

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2579/2017 अजय कुमार शर्मा, नर्स-2 बनाम सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.17 की पालना में बांसवाडा जिले में नर्स-2 का पद रिक्त नहीं होने कारण याचिकाकर्ता श्री अजय कुमार शर्मा, नर्स-2 का पदस्थापन प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक नवीन मेडिकल कॉलेज झुंजरपुर के अधीन करते हुये इनका वेतन आहरण नवीन मेडिकल कॉलेज झुंजरपुर से आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-71/2018/593 दिनांक:—02/05/2018

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन उदयपुर।
- 2 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक नवीन मेडिकल कॉलेज, झुंजरपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा।
- 4 उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) एवं केस प्रभारी बांसवाडा।
- 5 डॉ0बी0एम0 स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जोधपुर।
- 6 श्री अनिल कुमार बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसल,(चिकित्सा), राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
- 7 संबंधित श्री अजय कुमार शर्मा, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 9 आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।